CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

FOR THE YEARS 2023-2027

This Cultural Exchange Programme hereby referred to as "Programme" is made this 09th day of October 2023.

BETWEEN

The Government of the Republic of India represented by the Ministry of Culture, Shastri Bhawan New Delhi- 110001, India.

AND

The Government of the United Republic of Tanzania represented by the Ministry of Culture, Arts and Sports, P.O BOX 25, Government City - Mtumba, 2 Michezo Street, Dodoma-Tanzania for and on behalf of the United Republic of Tanzania.

PREAMBLE

The Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as a "Party");

RECALLING of the implementation of the Cultural Agreement signed between the Parties in January, 1975;

DESIRING to strengthen the friendly links between the parties so as to deepen cultural relations between them; and

NOW THEREFORE, the Parties have reached to the following understanding;

ARTICLE 1 OBJECTIVE

This Programme aims to strengthen relations between the Parties in the Culture field.

ARTICLE 2 MUSIC AND DANCE

The Parties will exchange music and dance ensembles and / or individual performing artists including classical and folk troupes for a period not exceeding 14 days each. Dates and other details of such exchange will be mutually agreed upon by the parties through diplomatic channels

ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION

Cooperation between the parties will take the following areas;

1. Sharing and holding the best practices through exchanging programs in the field of; conferences, meeting, workshops, seminars, festivals, music, dances, films festivals, exhibitions and competitions among the cultural practitioners and artists.

- 2 Both parties will encourage study visits and study tour to the Culture and Arts Cultural Officer, Administrators, Anthropologist, Curators, writers, delegation and researchers for the purpose of sharing new techniques, experience, studying including training, Archives Administration, Records Management, digital preservation of records and Education Programmes as agreed upon by the Parties.
- 3. Exchanging information and production in the areas of common interest in the field of Arts, films and cultural sector in accordance with the relevant *laws* rules and regulations of respective countries;
- 4. Sharing of skills and knowledge in the field of Cultural heritage, safeguarding, preservation, protection and promotion of Tangible and Intangible Cultural Heritage;
- 5. Encourage exchange and cooperation in the field of cultural relics, ancient monuments, properties, heritage, preservation, development, restoration of cultural and arts instruments, Archaeological sites, cultural and arts infrastructure and historical museums of both countries;
- 6. Exchange publications, scientific researches and studies related to the fields of Cultural Heritage, Archives management and use of media as means of promoting culture;
- 7. Promotion and development of Kiswahili language in the fields of Kiswahili teaching and learning, literature, indigenous folklore, interpretation, and documentation;
- 8. Parties will encourage each of youth programmes including participation of youth art and cultural festivals in either country, visits of the officials in charge of youth affairs, sharing of the experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs.
- 9. Parties will promote exchange of information and documentation concerning the history in the Archives of India and the history of Tanzania as well as copies of documents (digital copies) of interest of both parties to replenish in respective collections. The exchange of such materials will adhere to legislations governing records and archives management in India and Tanzania respectively.

ARTICLE 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

This **Programme** does not impose any financial responsibilities or obligations on either Party. Each Party will be responsible for its own costs incurred in the implementation of this Programme and expert visits.

ARTICLE 5 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Each Party will protect, within its territory, the intellectual property rights and any other relevant rights of the other Party in accordance with the International conventions ratified by both Parties and the domestic laws in force in the respective countries.

ARTICLE 6 CUSTOM CLEARANCE

The Parties will facilitate the entrance of non- profitable cultural materials in their respective territories in accordance with their domestic laws, rules, regulations and policies.

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

All information accessed by either Party to this Programme will be treated as confidential, unless a Party gives its written consent waiving its claim to the confidential nature of such information.

ARTICLE 8 APPLICABLE LAW

All activities carried out in terms of this Programme will be subject to the domestic laws, rules, regulations and policies in force in the respective countries.

ARTICLE 9 NOTIFICATION OF VISITS

The Party that wishes to send experts shall communicate the proposals for visits of experts to the host Party at least two (2) months in advance. The host Party will be expected to respond to the proposal within one (1) month of its receipt. The proposal of the visit shall include details of the duration and purpose of the visit.

ARTICLE 10 NON CONTRACTUAL NATURE OF RELATIONSHIP

The Parties herein agree that this Programme represents their mutual intention to have a mutually based instrument that will govern their relationship. In all ways this Programme is not intended to create enforceable legally binding obligation on the Parties but record an understanding of the Parties in the anticipated areas of cooperation.

ARTICLE 11 DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute/disagreement between the Parties arising out of the interpretation, application or implementation of the provision of this Programme will be resolved amicably by the Parties by way of consultation and negotiation through diplomatic channel.

ARTICLE 12 DURATION, AMENDMENTS, RENEWAL AND TERMINATION

a) This Programme will remain in effect for a period of **five (5) years** from the date of its signing.

- b) This Programme may be renewed for further five (5) years upon the wish of the Parties where by either party will give notice to the other, through diplomatic means, proposing to renew the understanding with or without alteration of the terms herein, provided that such notice shall be duly communicated to the recipient at least sixty (60) days prior to the expiry date.
- c) This Programme may be amended at any time through mutual written consent of both the Parties on the request of either Party.
- d) Either Party may have the right to terminate this Programme at any time upon serving thirty (30) days' advance written notice to the other party, stating the factors to the intended termination, however, should the factor for termination be resolved, the notice may be withdrawn by the Party serving the notice, provided that the period of thirty days shall not elapsed.
- e) If this Programme is terminated by either Party, the termination will not affect any prior obligation, project or activities already in progress unless otherwise agreed in writing by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being the dully authorized representatives of the Parties hereby sign this Programme.

SIGNED at New Delhi on this 9th day of October 2023, in two originals, each in Hindi and English languages, all text being equally authentic, in case of any discrepancy, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Name: Govind Mohan

Designation: Secretary Ministry of Culture

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Name January Y. Makamba

Designation: Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation

भारत गणराज्य की सरकार

और

संयुक्त गणराज्य तंजानिया की सरकार

के बीच

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

वर्ष 2023-2027 के लिए

यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जिसे एतदद्वारा 'कार्यक्रम' के रूप में उल्लिखित किया गया है, आज दिनांक 9 अक्तूबर 2023 को

संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001, भारत के प्रतिनिधित्व में भारत गणराज्य की सरकार

और

संस्कृति, कला एवं खेल मंत्रालय, पोस्ट बॉक्स 25, गवर्मेंट सिटी - एमतुम्बा, 2 मिशेजो स्ट्रीट, डोडोमा द्वारा तंजानिया के प्रतिनिधित्व में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के लिए और उसकी ओर से संयुक्त गणराज्य तंजानिया की सरकार के बीच किया गया है।

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त गणराज्य तंजानिया की सरकार (बाद में इन्हें संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा";

जनवरी 1975 में दोनों पक्ष के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के कार्यन्वयन का प्रत्याहवान करते हुए;

दोनों पक्ष के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदढ़ करने की इच्छा रखते हुए ताकि उनके बीच सांस्कृतिक संबंध और सुदढ़ हो सकें;

अब इसलिए दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद 1 उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में पक्ष के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना है।

अनुच्छेद 2 संगीत और नृत्य

दोनों पक्ष प्रत्येक 14 दिनों की अवधि के लिए शास्त्रीय और लोक मंडलियों सिहत संगीत और नृत्य समूहों तथा/अथवा एकल प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान की तारीखों और अन्य ब्यौरों पर दोनों पक्ष द्वारा राजनियक माध्यम के द्वारा परस्पर रूप से सहमित प्रदान की जाएगी

अनुच्छेद 3 सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष के बीच निम्नलिखि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा;

1. सांस्कृतिक साधना-कर्मियों और कलाकारों के बीच सम्मेलन, बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, महोत्सवों, संगीत, नृत्यों, फिल्म महोत्सवों, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से श्रेष्ठ अभ्यासों की साझेदारी और संचालन किया जाएगा;

- 2. दोनों पक्ष अपने बीच हुई परस्पर सहमित के अनुसार प्रशिक्षण, अभिलेखागार प्रशासन, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख और शिक्षा कार्यक्रमों के डिजिटल परिरक्षण सिहत नई तकनीकों, अनुभवों, अध्ययन कार्यों को साझा करने के प्रयोजनार्थ संस्कृति और कला सांस्कृतिक अधिकारियों, प्रशासकों, मानव विज्ञानियों क्यूरेटरों, लेखकों, शिष्टमंडलों और शोधकर्ताओं को अध्ययन यात्राएं और अध्ययन भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे;
- 3. संबंधित देशों के प्रासंगिक विधिगत नियमों और विनियमों के अनुसार कला फिल्मों और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आम रुचि के मामलों में सूचना और कलात्मक सृजन-कार्यों का आदान-प्रदान करेंगे
- 4. सांस्कृतिक विरासत, सुरक्षा, परिरक्षण, संरक्षण और मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के मामले में कौशल और ज्ञान को साझा करेंगे;
- 5. दोनों देशों के सांस्कृतिक अवशेषों, प्राचीन संस्मारकों, संपदाओं, विरासत स्थलों के साथ-साथ सांस्कृतिक और कला संस्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, सांस्कृतिक और कला संबंधी अवसंरचनाओं व ऐतिहासिक संग्रहालयों के परिरक्षण, विकास तथा उनके पुनरुद्धार के क्षेत्रों में विचार-विमर्श और सहयोग को बढ़ावा देना।
- 6. संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में सांस्कृतिक विरासत, अभिलेखीय प्रबंधन से संबंधित प्रकाशनों, वैज्ञानिक शोधों व अध्ययनों का परस्पर आदान प्रदान करना एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का उपयोग करना।
- 7. किसवाहिली शिक्षण और ज्ञान प्राप्ति साहित्य, प्रक्रिया में तथा देशज लोक गीतों, उनकी व्याख्याओं उनके प्रलेखन के क्षेत्रों में किसवाहिली भाषा को बढ़ावा देना और उसका विकास करना।
- 8. दोनों पक्ष प्रत्येक देश के युवा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे तथा दोनों देशों में होने वाले युवा कला और सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सा लेंगे तथा प्रत्येक देश के युवा मामलों के प्रभारी अधिकारी एक-दूसरे के देशों की यात्रा करेंगे और युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में अपने-अपने अनुभवों, कौशल ज्ञान, नई तकनीकों, सूचनाओं और ज्ञानकारियों को आपस में साझा करेंगे।
- 9. दोनों पक्ष भारतीय अभिलेखागार में भारतीय इतिहास और तंजानिया के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के आदान-प्रदान के साथ-साथ इन प्रलेखनों को संबंधित देश के संग्रहों में शामिल करने के लिए दोनों पक्ष अपने हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां परस्पर साझा करने को बढ़ावा देंगे। इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते समय क्रमशः भारत और तंजानिया में रिकॉर्डों और अभिलेखों के प्रबंधन को शासित करने वाले विधानों का अनुपालन किया जाएगा।

अनुच्छेद ४ वितीय प्रबंधन

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी पक्ष पर कोई वितीय दायित्व अथवा जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। प्रत्येक पक्ष इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तथा विशेषज्ञों के आगमन पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 5 बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा

प्रत्येक पक्ष द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर दूसरे पक्ष के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और किसी भी सुरक्षा के दोनों पक्ष द्वारा समर्पित अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों और संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 6 सीमा-शुल्क मंजूरी

दोनों पक्ष द्वारा उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बिना किसी लाभ वाली सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रवेश की अनुमति उनके अपने-अपने स्थानीय कानूनों, नियमों, विनियमों तथा नीतियों के अनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद 7 गोपनीयता

जब तक की कोई पक्ष लिखित रूप से इस प्रकार की सूचना को गोपनीय प्रकृति का समझे जाने वाले अपने दावे से मुक्त नहीं करता तब तक इस कार्यक्रम के जरिए प्रत्येक पक्ष द्वारा प्राप्त सूचना गोपनीय समझी जाएगी।

अनुच्छेद 8 लागू कानून

इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई सभी तरह के कार्यकलाप संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानूनों, नियमों, विनियमों और नीति के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद 9 यात्राओं की अधिसूचना

यदि कोई पक्ष अपने कुछ विशेषज्ञों को दूसरे के यहाँ भेजना चाहता है तो वह इस आशय के प्रस्ताव के बारे में सूचना कम से कम दो (2) माह पूर्व मेजबान पक्ष को अग्रिम रूप से भेजेगा। मेजबान पक्ष से यह अपेक्षा होगी कि वह उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस प्रस्ताव का उत्तर भेजेगा। इस यात्रा के प्रस्ताव में यात्रा की अविध तथा उसके प्रयोजन के बारे में ब्यौरा शामिल होगा।

अनुच्छेद 10 गैर-संविदात्मक प्रकृति वाले संबंध

दोनों पक्ष, एतद्द्वारा, सहमत हैं कि यह कार्यक्रम एक पारस्परिक रूप से आधारित कार्यक्रम तैयार करने के उनकी पारस्परिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो उनके संबंधों को प्रशासित करेगा। हर तरह से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य बाध्यकारी दायित्व बनाना नहीं है, बल्कि सहयोग के प्रत्याशित क्षेत्रों में पार्टियों की समझ को रेकॉर्ड करना है।

अनुच्छेद 11 विवाद निपटान

इस कार्यक्रम के प्रावधानों के निर्वचन, लागू किए जाने या कार्यान्वयन के कारण दोनों पक्षों के मध्य उठने वाले किसी विवाद/असहमति का दोनों पक्षों द्वारा राजनयिक माध्यम से परामर्श और विचार-विमर्श के द्वारा शांतिपूर्वक समाधान किया जाएगा।

अनुच्छेद 12 अवधि, संशोधन, नवीकरण एवं समाप्ति

- क. यह कार्यक्रम इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगा।
- ख. इस कार्यक्रम को दोनों पक्षों की इच्छा से आगे पांच वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है जिसमें इस समझौते की शर्तों को यथावत रखते हुए या बदलाव के साथ नवीकृत करने के संबंध में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यम से, एतद्द्वारा, नोटिस दे सकेगा बशर्ते कि इस समझौते की अविध समाप्त होने के कम से कम साठ (60) दिन पहले प्राप्तकर्ता पक्ष को ऐसा नोटिस विधिवत सम्प्रेषित कर दिया जाये।
- ग. किसी एक पक्ष के अनुरोध पर, इस कार्यक्रम को दोनों ही पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।
- घ. किसी भी पक्ष द्वारा, दूसरे पक्ष को तीस (30) दिन का लिखित अग्रिम नोटिस देते हुए, इच्छित समाप्ति के कारकों का उल्लेख करते हुए, किसी भी समय, इस कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार होगा। तथापि, समाप्ति के कारकों का निदान हो जाने पर संबंधित पक्ष द्वारा नोटिस देते हुए उक्त नोटिस को वापस लिया जा सकेगा बशर्ते, इस दौरान तीस दिन की अवधि समाप्त न हो गई हो।
- ङ. यदि यह कार्यक्रम किसी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी समाप्ति से जारी किसी पूर्व दायित्व, परियोजना या कार्यकलाप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस संबंध में लिखित में सहमति न हो जाए।

इसके साक्ष्य के रूप में, जहां दोनों पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण अधोहस्ताक्षरी इस कार्यक्रम पर एतद्द्वारा हस्ताक्षर करते हैं।

दिनांक 9 अक्तूबर 2023 को हिंदी और अंग्रेजी प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में, इस कार्यक्रम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं और किसी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य सरकार की ओर से

संयुक्त गणराज्य तंजानिया सरकार की ओर से

sadé man

नाम: गोविंद मोहन

पदनाम: सचिव, संस्कृति मंत्रालय

नामः जनुअरी वाई. माकम्बा

पदनामः विदेश और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री